


## सूचना

कोल इंडिया लिमिटेड की पुनर्वास एवं पुनःस्थापना नीति, 2012 के अंतर्गत श्री इंद्रजीत यादव पिता श्री शंकर यादव निवासी ग्राम: होनहे , थाना: टंडवा, जिला: चतरा (झारखण्ड) को सी बी ए, 1957 आधिनियम के तहत ग्राम: होनहे , थाना सं: 50 (रैयती) खाता सं. 8, 44, 61, 1 & 33 के अधीन प्लॉट सं. 682, 328, 301, 302, 298, 480 & 328, कुल रकबा - 2.00एकड़ भूमि के अधिग्रहण के एवज मे रोजगार का एक प्रस्ताव प्रोसैस किया गया है।

अगर उक्त रोजगार पर किसी भी व्यक्ति का कोई दावा/ आपति हो तो वे इस सूचना के प्रकाशन/ बेबसाईट [http://www.centralcoalfIELDS.in/indsk/noti\\_empl\\_Ind.php](http://www.centralcoalfIELDS.in/indsk/noti_empl_Ind.php) पर इस सूचना को डाले जाने की तारीख से पंद्रह दिनों के अंदर सभी दस्तावेजो एवं साक्ष्य के साथ अपनी आपति लिखित रूप मे महाप्रबंधक (भूमि एवं राजस्व), सी.सी.एल, राँची के समक्ष उठा सकते हैं।

अगर उक्त पंद्रह दिनों के अंदर कोई आपति प्राप्त नहीं होती है, तो यह मान लिया जाएगा कि ग्राम होनहे , थाना: टंडवा , जिला: चतरा (झारखण्ड) को सी बी ए, 1957 आधिनियम के तहत ग्राम: होनहे, थाना सं: 50 (रैयती) खाता सं. 8, 44, 61, 1 & 33 के अधीन प्लॉट सं. 682, 328, 301, 302, 298, 480 & 328, कुल रकबा - 2.00 एकड़ के तहत श्री इंद्रजीत यादव पिता श्री शंकर यादव निवासी ग्राम: होनहे, थाना: टंडवा, जिला: चतरा (झारखण्ड) के रोजगार प्रस्ताव पर कोई भी आपति नहीं है।

  
25/2/2019

Cc to : Sri. A. Mukherjee, CM (M) (L&R)

Yours faithfully

General Manager (L&R),  
CCL, Ranchi